

कार्यालय नगर परिषद, हाजीपुर
भवन की योजना के अनुमोदन
उपविधि संख्या -8(4)

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, हाजीपुर

योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद् हाजीपुर आयोजना क्षेत्र में वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की जगह हो, के अधिकारी, हक हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किए जाने के साथ-आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जाए, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाए जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

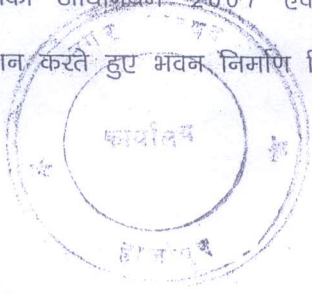
(ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(द्र) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ण) अन्य शर्त।

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का

अक्षरसः अनुपालन करते हुए भवन निर्माण किया जाएगा।



नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् हाजीपुर
दिनांक : 14-12-19

पत्रांक : 95

प्रतिलिपि : 3 मिला देवी प्रति स्कू सी चंद नरद सह मे
3062 लि का

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् हाजीपुर
दिनांक : 14/12/19